न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आरएएस)

प्रकरण संख्या : 134 / 2024 (जी.सी.एम.एस. 2024 / 228)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह जाति जटसिख निवासी श्रीकरणपुर हाल आबाद मकान नम्बर 1127 बीवीआई, गली नम्बर 1, मॉडल टाउन, अबोहर, फिरोजपुर पंजाब।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू– 16.07.2024

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू, मनीष जांगिड अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— दिनांक : 01.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 2 एफए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10, 11, 12, 20 में वादी के नाम से संयुक्त खाता में भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार चक 5 एफए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28, 29, 107, 123 में भी वादी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम चमकौर सिंह उर्फ कौर सिह पुत्र गुरदास सिह उर्फ मल सिंह जाति जटसिख अंकित है। जबकि वादी की उक्त कृषि भूमि खरीदशुदा है तथा कुछ भूमि विरास्तन प्राप्त है। इस कारण कुछ खातो में वादी का वास्तविक नाम अंकित है तथा कुछ खातो में घरेलू नाम अंकित है। परन्तु चमकौर सिंह उर्फ कौर सिंह पुत्र गुरदास उर्फ मल सिंह एक ही व्यक्ति है तथा उक्त दोनो नामो से वादी को ही जाना व पहचाना जाता है, लेकिन वादी के पहचान संबंधित समस्त दस्तावेजो क्रमशः– राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र पासपोर्ट, वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह नाम अंकित है। उक्त भूमि में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 2 एफए, पटवार मण्डल रडेवाला की चालू जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10, 11, 12, 20 के मुरब्बा नम्बर क्रमशः–1, 5, 6, 9, 10 एवं चक 5 एफए, पटवार मण्डल रडेवाला की चालू जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28, 29, 107, 123 के मुरब्बा नम्बर क्रमशः–7, 10, 12, 20, 21, 23 में दर्ज वादी का नाम चमकौर सिंह उर्फ कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह उर्फ मल सिंह के स्थान पर वादी का वास्तविक नाम कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह नाम घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 3718 दिनांक 10.11.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह का नाम ही चमकौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह है। दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। साक्ष्य में गवाह जगतार सिंह व सुरेन्द्र सिंह ने शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए। सामिल मिसल किए गए।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, 11/11, 12/12, 20/18 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28/29, 29/30, 107/103, 123/118 की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति, वारिस प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, 11/11, 12/12, 20/18 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28/29, 29/30, 107/103, 123/118 में अंकित नाम चमकौर सिंह उर्फ कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह उर्फ मल सिंह के स्थान पर कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति, वारिस प्रमाण पत्र की छायाप्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति में नाम कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह का नाम ही चमकौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह है। दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। साक्ष्य में उपस्थित गवाह जगतार सिंह, सुरेन्द्र सिंह के द्वारा शपथ पत्र में वर्णित किया कि उक्त खातों में चमकौर सिंह उर्फ कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह उर्फ मल सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, 11/11, 12/12, 20/18 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28 / 29, 29 / 30, 107 / 103, 123 / 118 में वादी के अंकित नाम के स्थान पर नमकौर सिंह उर्फ कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह उर्फ मल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर ए एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7, ज़ाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D-1')

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

कौर सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आर.टी.ए., 136 एल.आर.एक्ट

मुकदमा नम्बर 134/2024

निर्णय दिनांक :- 01.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फरीक मुकाम उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, श्री मनीष जांगिड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, 11/11, 12/12, 20/18 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28/29, 29/30, 107/103, 123/118 में वादी के अंकित नाम के स्थान पर चमकौर सिंह उर्फ कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह उर्फ मल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 01.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांकः 01.01.2025

क्रमांकः रीडर/2024/03

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
कौर सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आर.टी.ए., 136 एल.आर.एक्ट
मुकदमा नम्बर 134/2024
निर्णय दिनांक :- 01.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता** श्री इन्द्राज सेजू, **श्री मनीष** जांगिड **उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/10, 11/11, 12/12, 20/18 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 5 एफ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 28/29, 29/30, 107/103, 123/118 में वादी के अंकित नाम के स्थान पर चमकौर सिंह उर्फ कौर सिंह पुत्र गुरदास सिंह उर्फ मल सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 01.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/03 दिनांकः 01.01.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर